राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःप.1(23)(2)रानिआ / लेखा / बजट / 2019–20 / 202 दिनांकः 7-1-2020

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) समस्त राजस्थान।

विषयः– कानून व्यवस्था हेतु अधिग्रहित वाहनों का किराया / पी.ओ.एल. भुगतान के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पंचायत आम चुनाव 2020 की कानून व्यवस्था हेतु अधिग्रहित वाहनों के क्रम में आयोग के आदेश क्रमांक 2797 दिनांक 09.08.2019 के अनुसार स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस कानून व्यवस्था हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्व–विवेक से पुलिस विभाग की आवश्यकता की समीक्षा की जाकर वाहन अधिग्रहित किये जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनाव कार्य में प्रयुक्त होने वाले अधिग्रहित वाहनों का किराया / पी.ओ.एल. का भुगतान ही पंचायत चुनाव मद से वहन किया जायेगा किन्तु पुलिस विभाग के स्वयं के वाहनों के लिए पी.ओ.एल. आदि का भुगतान पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिग्रहित वाहनों का किराया / पी.ओ.एल. के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।